इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 544]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 सितम्बर 2018—आश्विन 7, शक 1940

## नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2018

अधि. क्र. 34 एफ 1-36-2018-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायतों को सिम्मिलत कर नगर परिषद्, रौन का गठन करती है :—

स.क्र.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत	सम्मिलित ग्राम पंचायतों	
			का नाम	का विवरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	भिण्ड	रौन	रौन	1. ग्राम पंचायत, गौरई	
				2. ग्राम पंचायत, महदवा	
			•	3. ग्राम पंचायत, विरखड़ी	
				4. ग्राम पंचायत, चंदावली नं.	
				5. ग्राम पंचायत, ररूआ नं. 1	
		·		6. ग्राम पंचायत, रौन	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जांगिड़, उपसचिव.

### भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2018

अधि. क्र. 34 एफ 1-36-2018-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक अधि. क्र. 34 एफ 1-36-2018-अठारह-3, दिनांक 29 सितम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जांगिड़, उपसचिव.

#### Bhopal, the 29th September 2018

Notice No. 34 F 1-36-2018-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Section 5 (1) (B) of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) hereby pleased to include the Gram Panchayats mentioned in the below table is notified as Municipal Council Roun, namely:—

Sr. No.	District	Tehsil	Name of the Village Panchayat		Included Detail of Gram Panchayats	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
1	Bhind	Roun	Roun	1.	Gram Panchayat, Gourai	
				2.	Gram Panchayat, Mehdawa	
				3.	Gram Panchayat, Virkhadi	
				4.	Gram Panchayat, Chandawli No. 1	
				5.	Gram Panchayat, Rarua No. 1	
				6,	Gram Panchayat, Roun	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, LOKESH KUMAR JANGID, Dy. Secy.